

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 149 : Goods and services tax compliance rating**

- (1) Every registered person may be assigned a goods and services tax compliance rating score by the Government based on his record of compliance with the provisions of this Act.
  - (2) The goods and services tax compliance rating score may be determined on the basis of such parameters as may be prescribed.
  - (3) The goods and services tax compliance rating score may be updated at periodic intervals and intimated to the registered person and also placed in the public domain in such manner as may be prescribed.
-

**धारा 149 : माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग**

- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग समनुदेशित किया जा सकेगा।
- (2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग अंकों को ऐसे मानकों के आधार पर, जो विहित किए जाएं, अवधारित किया जा सकेगा।
- (3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग अंकों को आवधिक अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पब्लिक डोमेन में भी रखा जा सकेगा।